ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

रजनी देवी एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 2892/2008)

22 अप्रैल, 2008

[एस.बी. सिन्हा और वी.एस. सिरपुरकर, जे.जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एस. 163 ए- मोटर दुर्घटना- वाहन के मालिक की मृत्यु- यह स्पष्ट नहीं है कि मृतक स्वयं अपकृत्यकर्ता था- मुआवजा- मृतक के उत्तराधिकारियों द्वारा धारा 163 ए के तहत दावा- बीमा कंपनी का दायित्व- आवधारितः जब किसी की मृत्यु के लिए मुआवजे का दावा किया जाता है वाहन का मालिक या कोई अन्य यात्री, बीमा का संविदा के लिए अनुबंध (कांट्रैक्ट क्वा कांट्रैक्ट) द्वारा शासित होता है, बीमा कंपनी का दायित्व उसकी शर्तों पर निर्भर करेगा- धारा 163 ए उस दुर्घटना के संबंध में लागू नहीं है जहां वाहन का मालिक स्वयं शामिल है- धारा 163 ए के तहत दायित्व। वाहन के मालिक पर है क्योंकि व्यक्ति, दावेदार और प्राप्तकर्ता दोनों नहीं हो सकते- इस प्रकार, धारा 163 ए के तहत दावा चलने योग्य नहीं माना जा सकता- बीमा के अनुबंध के संदर्भ में, बीमा कंपनी 1,00,000/- रुपये की सीमा तक उत्तरदायी है।

"जे", जो की मोटर साइकिल का मालिक था, वह "एस" के साथ मोटर साइकिल चला रहा था। मोटर दुर्घटना हुई और परिणामस्वरूप जे की मृत्यु हो गई। यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि मोटरसाइकिल कौन चला रहा था. जे के प्रतिवादी-वारिसों ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163 ए के तहत जे की मौत के लिए मुआवजे की मांग करते हुए आवेदन दायर किया। ट्रिब्यूनल ने मोटरसाइकिल मृतक चला रहा था या एस मोटरसाइकिल चला रहा था. इस तथ्य की परवाह किए बिना मोटर वाहन के उपयोग को ध्यान में रखते हुए आवेदन स्वीकार किया । इसे वर्तमान अपील में चुनौती दी गई है ।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.1 ऐसे मामले में जहां तीसरा पक्ष शामिल है, बीमा कंपनी का दायित्व असीमित होगा। हालाँकि, जहां वाहन के मालिक या किसी अन्य यात्री की मृत्यु के लिए मुआवजे का दावा किया जाता है, बीमा अनुबंध संविदा द्वारा शासित होता है, बीमा कंपनी का दावा उसकी शर्तों पर निर्भर करेगा। इसलिए, ट्रिब्यूनल का यह विचार सही नहीं था कि मुआवजे की राशि का निर्धारण करते समय, एकमात्र कारक जो प्रासंगिक होगा वह केवल मोटर वाहन का उपयोग होगा। [पैरा 6 और 7] [825-जी, एच; 826-ए, बी]

1.2 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163 ए को किसी दुर्घटना के संबंध में लागू नहीं कहा जा सकता है जिसमें मोटर वाहन का मालिक स्वयं शामिल है। अधिनियम की धारा 163-ए के तहत दायित्व वाहन के मालिक पर है क्योंकि एक ही व्यक्ति दावेदार और प्राप्तकर्ता दोनों नहीं हो सकता है। जे के उत्तराधिकारी एस के संदर्भ में दावा नहीं रख सकते थे। अधिनियम की धारा 163-ए. उक्त प्रयोजन के लिए केवल बीमा अनुबंध की शर्तों का सहारा लिया जा सकता है। बीमा के अनुबंध की शर्तों के अनुसार, बीमा कंपनी की देनदारी 1,00,000/- रुपये तक सीमित थी, कंपनी उक्त सीमा तक उत्तरदायी थी और उक्त राशि से अधिक अन्य कोई अधिक राशि के लिए उत्तरदायी नहीं थी। [पैरा 7, 10 और 11] [826-जी, एच, 828-ई, एफ, जी]

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती झूमा साहा एवं अन्य एआईआर 2007 एससी 1055; नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मी नारायण धुत 2007 (4) स्केल 36; प्रेम कुमारी एवं अन्य प्रह्लाद देव और अन्य 2008 (1) स्केल 531; ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम पृथ्वी राज 2008 (1) स्केल 727- संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2892/2008

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के एफएओ संख्या 3859 सं 2006 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 12.10.2006 के विरुद्ध।

अपीलकर्ता की ओर से नीरजा सचदेवा और परमानंद गौड़।

एस.बी. सिन्हा, जे. द्वारा निर्णय सुनाया गया।

1. अनुमति स्वीकृत।

2. प्रतिवादी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम) की धारा 163-ए के तहत जनक राज (मृतक) की मृत्यु के लिए मुआवजे का दावा करते हुए एक आवेदन दायर किया। वह सुखदेव राज नामक व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर सवार था। वास्तव में ड्राइवर की सीट पर कौन था, यह ज्ञात नहीं है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ।

3. यहां अपीलकर्ता ने, नोटिस जारी किए जाने के बाद, दावे का विरोध किया, अन्य बातों के साथ-साथ, यह तर्क देते हुए कि हालांकि वाहन के मालिक ने अपने व्यक्तिगत बीमा को कवर करने के लिए 50 रुपये की अतिरिक्त राशि जमा की, लेकिन वह पीछे बैठने वाले के मामले को सुरक्षा प्रदान नहीं करेगी और किसी भी स्थिति में, वाहन का मालिक अधिनियम की धारा 147 के अर्थ में तीसरा पक्ष नहीं है।

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए निम्न बिन्दु विरचित किए गए :

> "1. क्या 7.9.2004 को शाम 4.05 बजे जनक राज की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी?- वादी
>
> 2. क्या दावेदार मर्तक के विधिक प्रतिनिधि और मृतक पर निर्भर थे? – वादी
>
> 3. क्या दावेदार मुआवजे के हकदार हैं? यदि हाँ, तो कितना और किस उत्तरदाता से?- वादी
>
> 4. क्या मोटरसाइकिल बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करके चलाई जा रही थी?- प्रतिवादी
>
> 5. क्या मोटरसाइकिल चालक एक वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस धारी नहीं था?- प्रतिवादी
>
> 6. क्या दावा याचिका मे आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है?- प्रतिवादी
>
> 7. अनुतोष।"

4. ट्रिब्यूनल ने पाया कि उक्त दुर्घटना के संबंध में में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पुलिस थाना मे दर्ज की गई थी वह इस संबंध मे स्पष्ट स्थापित नहीं करती है की मोटरसाइकिल कौन चला रहा था, परंतु

इस प्रश्न को निर्धारित किए बिना कि क्या जनक राज स्वयं अपकृत्यकर्ता थे, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163-ए के तहत कोई आवेदन अग्रसर होने योग्य था। जिस आधार पर ट्रिब्यूनल उक्त बिन्दु को निर्धारित करने के लिए अग्रसर हुआ, वह यह था कि एक व्यापक बीमा पॉलिसी ली गई थी, उसके विचार के लिए बिना इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए की वाहन मृतक या उक्त सुखदेव राज चला रहा था या नहीं एकमात्र प्रश्न यह था कि क्या दुर्घटना मोटर वाहन के उपयोग के कारण हुई थी। हालाँकि, यह माना गया कि यदि मृतक अपकृत्यकर्ता था, तो बीमाकर्ता द्वारा मुआवजे की किसी भी राशि की प्रतिपूर्ति का सवाल ही नहीं उठता, यह मानते हुए:

> "यदि हम उपधारना करें की मृतक के पास तब भी कोई व्यापक पॉलिसी नहीं थी,इसके बावजूद भी दावेदार मुआवजे के हकदार हैं क्योंकि साक्ष्य इस संबंध मे मोन हैं कि दुर्घटना कारित होने वाला वाहन कौन चला रहा था।"

5. विवादक संख्या 4, 5 और 6 पर, ट्रिब्यूनल ने कहा:

> "सभी बिंदुओं को साबित करने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी पर थी। जैसा कि पिछले बिंदुओं में चर्चा की गई थी की दुर्घटना कारित वाहन का बीमा किया गया था, लेकिन पत्रावलि में इस तथ्य का कोई सबूत नहीं था कि मोटरसाइकिल कौन चला रहा था। अर्थात जनक राज

मोटरसाइकिल चला रहा था या सुखदेव राज मोटरसाइकिल चला रहा था। जनक राज और सुखदेव राज मोटरसाइकिल पर थे। दुर्घटना में दोनों को चोटें आईं। सुखदेवराज ने सिविल अस्पताल, डलहौजी में दम तोड़ दिया था। जनक राज को भिन्न अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया था। अंततः उसके कारित चोटों के कारण मृत्यु हो गई थी। मोटरसाइकिल का मालिक जनक राज था। कंपनी के अधिवक्ता यह समझाने में विफल रहे कि आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का याचिका मे दोष है और ड्राइविंग लाइसेंस के प्रस्तुत न करने का क्या प्रभाव होगा यदि साक्ष्य स्पष्ट ना हो की दुर्घटना ग्रस्त होने वाला वाहन कौन चला रहा था। इसलिए, सभी विवादकों का निर्णय बीमा कंपनी के विरुद्ध किया जाता है।"

6. इस प्रकार कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि ऐसे मामले में जहां तीसरा पक्ष शामिल है, उस स्थिति मे बीमा कंपनी का दायित्व असीमित होगा। यद्यपि, जहां वाहन के स्वामी या अन्य यात्री की मृत्यु के लिए मुआवजे का दावा किया जाता है, उस स्तिथि मे बीमा संविदा के लिए अनुबंध द्वारा शासित होता है, बीमा कंपनी का दावा उसकी शर्तों पर निर्भर करेगा।

7. हमारी राय में, ट्रिब्यूनल का यह दृष्टिकोण सही नहीं था कि मुआवजे की राशि का निर्धारण करते समय, एकमात्र कारक जो प्रासंगिक होगा वह केवल मोटर वाहन का उपयोग होगा।

धारा 163-ए इस प्रकार है:

"163क. संरचना सूत्र के आधार पर प्रतिकर के संदाय की बाबत विशेष उपबंध- (1) इस अधिनियम में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विधि का बल रखने वाली किसी लिखत में किसी बात के होते हुए भी, मोटर यान का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता, मोटर यान के उपयोग से हुई दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता की दशा में, यथास्थिति, विधिक वारिसों या आहत व्यक्ति को, दूसरी अनुसूची में उपवर्णित प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी निःशक्तता" का वही अर्थ और विस्तार है जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में है।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लिए किसी दावे में, दावाकर्ता से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह यह अभिवचन करे या यह सिद्ध करे कि वह मृत्यु या स्थायी

> निःशक्तता जिसकी बाबत दावा किया गया है, संबंधित यान या यानों के स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के दोषपूर्ण कार्य या उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी ।
>
> (3) केन्द्रीय सरकार, जीवन निर्वाह की लागत को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर दूसरी अनुसूची का संशोधन कर सकेगी।"

उक्त प्रावधान का किसी ऐसी दुर्घटना के संबंध में चस्पा नहीं किया जा सकता है जिसमें मोटर वाहन का स्वामी स्वयं शामिल हो। यह प्रश्न रेस इंटेगरा नहीं रहा है।

8. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती झूमा साहू एवं अन्य [एआईआर 2007 एससी 1055], के मामले मे यह अभिनिर्धारित किया गया कि:

> "10. मृतक वाहन का मालिक था। दावा याचिका में बताए गए कारणों से या अन्यथा, दुर्घटना के लिए उसे ही दोषी ठहराया जाना था। जिस वाहन को वह चला रहा था उसके अलावा अन्य कोई मोटर वाहन शामिल नहीं था जिसे वह चला रहा था। विचारणीय प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि मृतक की स्वयं की लापरवाही होने पर क मोटर वाहन

अधिनियम 1988 की धारा 166 के अंतर्गत दावा याचिका पोषणीय होगी।

11. बीमाकर्ता कंपनी का दायित्व बीमाधारक प्रतिवादी या घायल व्यक्ति की अथवा किसी तीसरे व्यक्ति या संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति की सीमा तक है। इस प्रकार, यदि मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत बीमाधारक पर कोई दायित्व नहीं डाला जा सकता है, तो बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक को क्षतिपूर्ति देने का दायित्व होने का सवाल ही नहीं उठता।

12. धनराज बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2 में कहा गया है:

8. इस प्रकार, एक बीमा पॉलिसी वाहन में ले जाए गए किसी भी व्यक्ति (माल के मालिक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि सहित) वाहन के प्रयुक्त होने से कारित मृत्यु या शारीरिक चोट या किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमाधारक द्वारा किए गए दायित्व को संरक्षित करती है। धारा 147 के तहत किसी बीमा कंपनी को वाहन के मालिक की मृत्यु या शारीरिक चोट का जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है।

***

10. इस प्रकरण में, यह दर्शित नहीं किया गया है कि स्वयं वाहन स्वामी को चोट लगने की किसी भी जोखिम को पॉलिसी द्वारा संरक्षित किया गया है। हम इस तर्क को स्वीकर्त करने में असमर्थ हैं कि 'स्वयं की क्षति' शीर्षक के अंतर्गत अदा किया गया 4989 रुपये का प्रीमियम व्यक्तिगत चोट के प्रति दायित्व को संरक्षित करने के लिए है। 'स्वयं की क्षति ' शीर्षक मे, 'वाहन और गैर-विद्युत सामग्री पर प्रीमियम शब्द दर्शित होते हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह प्रीमियम वाहन को हुए नुकसान के लिए है, न कि मालिक को चोट लगने के लिए। वाहन का स्वामी केवल तभी दावा कर सकता है जब उसने व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लिया हो। इस मामले में ऐसा कोई बीमा नहीं है।"

9. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मी नारायण धुत [2007 (4) स्केल 36] में, अभिनिर्धारित किया गया है:

"जहां दावा स्वयं के नुकसान के दावों से संबंधित है, वहां बीमा कंपनी द्वारा इस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। लेकिन इसका निर्णय किसी अन्य फोरम यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'सीपी एक्ट') के तहत

बनाए गए फोरम द्वारा किया जाता है । ट्रिब्यूनल के समक्ष अनिवार्य रूप से तीन पक्ष थे अर्थात बीमाकर्ता, बीमाधारक और दावेदार। इसके विपरीत, उपभोक्ता फोरम के समक्ष दो पक्ष थे यानी वाहन का स्वामी और बीमाकर्ता। दावेदार प्रकट रूप से नहीं आता है । इसलिए, ऐसे मामले जिसमे दावेदार प्रकट रूप से नहीं आता है उन प्रकरणों मे कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं होता है।"

उक्त सिद्धांत को हाल ही में प्रेम कुमारी एवं अन्य बनाम प्रह्लाद देव और अन्य। [2008 (1) स्केल 531] और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम पृथ्वी राज [2008(1) स्केल 727]। मे दोहराया गया है।

10. अधिनियम की धारा 163-ए के अन्तर्गरत दायित्व वाहन के स्वामी पर है क्योंकि एक व्यक्ति दावेदार और प्राप्तकर्ता दोनों नहीं हो सकता है। जनकराज के उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 163-ए के संदर्भ में दावा नहीं कर सकते थे। उक्त प्रयोजन के लिए केवल बीमा अनुबंध की शर्तों का सहारा लिया जा सकता है।

11. बीमा के अनुबंध की शर्तों के अनुसार, बीमा कंपनी की देनदारी 1,00,000/ रुपये (केवल एक लाख रुपये) तक सीमित थी। यह उक्त सीमा तक उत्तरदायी था और उक्त सीमा तक ही उत्तरदाई थी इससे अधिक किसी अन्य राशि के लिए नहीं।

12. बिना खर्चा, उक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

एन.जे.

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अरुण कुमार अग्रवाल-II (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।